न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 76 / 2023 (45 / 2014) (आरबीट्रेटर प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 13.09.2023 (29.04.2014) निर्णय दिनांक : 31.05.2024

1. नाथी देवी पत्नी मक्खनलाल निवासी कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़।

प्रार्थीया

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली।
2. जल भूतल परिवहन (सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) सडक स्कन्ध, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिए परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 156 गिरनार कॉलोनी वैशाली नगर, जयपुर।
4. भारत संघ जरिये सचिव जल–भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) सडक स्कन्ध, नई दिल्ली।

अप्रार्थीगण

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामजीलाल यादव अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार मित्तल अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 31.05.2024**

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 13.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

1. संक्षेप में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 के 142.400 कि.मी. से 212.100 कि.मी. (गुडगॉव–कोटपूतली–जयपुर) सैक्शन के चौडा करने / छ लाईन हेतु की गई भूमि अवाप्ति का मुआवजा राशि बाबत पारित किये गये अवार्ड दिनांक 05.03.2011 से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री विजय मित्तल ने उपस्थित हो कर वकलातनामा जबाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थीया के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि भूमि खसरा नम्बर 977 रकबा 06800 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है जिसमे से 279 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूमि का प्रार्थी स्वामी काबिज है। राज्य सरकार के आदेश की पालना में, राजस्थान में शहरी क्षेत्र में सम्पत्ति पर काबिज व्यक्तियों के हक में पट्टा जारी करने हेतु एक अभियान चलाया तथा चूंकि प्रार्थीया विवादग्रस्त संपत्ति की एकमात्र स्वामी एवं काबिज थी इसलिए प्रार्थीया ने अधिशासी अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मंडल कोटपुतली के समक्ष 4206 जमा करा कर, विवादग्रस्त सम्पत्ति का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया। तथा वाद जांच कार्यलय नगर पालिका मंडल कोटपुतली ने दिनांक 13-12004 को प्रार्थीया

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

को पट्टा जारी किया जिसका नियमानुसार दिनांक 22-01-2004 को उपपंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक कोटपुतली ने पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 255में पृष्ट संख्या 182 कम सख्या 2753 पर पंजीबद्ध किया गया तथा प्रार्थीया की जानकारी के अनुसार उपरांकित भूमि के कुछ खसरा नम्बर की भूमि श्री निश्चित कुमार ने, राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि दे दी परंतु उपरांकित भूमि का जब राजस्व रिकार्ड में, अमल किया गया तो सहवन से खसरा नम्बर 977 रकबा 068 हैक्टेयर भूमि राजकीय विद्यालय के नाम अंकित कर दी गई। उपरोक्त अंकन करते समय इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया कि प्रार्थी की विवादग्रस्त सपत्ति भी उपरोक्त अंकन में शामिल कर लिया है जबकि वास्तव में यह भूमि न तो राजकीय महाविद्यालय की सम्पत्ति थी ओर न ही प्रार्थी से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति थी। सम्भवतया इसी कारण से राष्ट्रीय राजमार्ग की विज्ञप्ति में उपरोक्त पट्टे को पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है अन्यथा निश्चित रूप से धारा 3 की उपरांकित विज्ञप्ति में खसरा नम्बर 977 का स्वामी, राजकीय महा विद्यालय के साथ–साथ प्रार्थी को भी अंकित किया जाता है। विपक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा, एक जांच रिपोर्ट खसरा नम्बर 977 के संबंध में तैयार की जिसमें उपरांकित भूमि में प्रार्थीया के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी सम्पत्ति पर काबिज अंकित किया है। उपरोक्त जांच रिपोर्ट ने कब्जे के आधार के संबंध में संबधित पटवारी ने प्रार्थीया के कब्जे के संबंध में "पट्टा नगर पालिका कोटपुतली अंकित किया है" जिससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थीया खसरा नम्बर 977 पर, नगर पालिका कोटपुतली द्वारा जारी पट्टे के आधार पर काबिज एवं स्वामी है। इसके बावजूद भी धारा 3 की उपरांकित विज्ञप्ति में प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं किया हैं। विपक्षी व भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली) की यह जानकारी में था कि विवादग्रस्त संपत्ति का स्वामीत्व एवं कब्जा प्रार्थीया का है इसके बावजूद भी विवादग्रस्त संपत्ति का अवार्ड पारित करते समय प्रार्थीया को कोई अवसर प्रदान नहीं किया। यहां यह कथन करना समुचित होगा कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 20-9-2009 को अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना क्लैम भी प्रस्तुत किया था जिसमें 1636060-00 रूपये की मुआवजे की मांग की गई। इस पर भी प्रार्थीन प्रार्थीया को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। उपखंड अधिकारी ने, भूमि पर बने निर्माण के मुआवजे का प्रार्थीया को भूगतान किया गया परन्तु भूमि की कीमत का प्रार्थी को भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थीया ने पूनः भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अवैधानिक तरीके से पत्र दिनांक 29-09-2011 व 3-7- 2012 जारी किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण यह है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थीया के क्लैम का सही रूप से निर्धारण नहीं किया व जिस भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थीनी को था उस भूमि के मुआवजे का निर्धारण राजकीय महाविद्यालय के पक्ष में करने का आदेश पारित किया और उपरोक्त कार्यवाही भी मनमाने तरीके से एक तरफा कार्यवाही की गई। मान्यवर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम व उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अतंर्गत पच निर्णायक नियुक्त किया गया है एवं अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण के अधिकार व किस व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त किया जाएगा के निर्धारण की शक्तियां प्रदत्त की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड व पत्र दिनांक 3-7-2012 व 29-09-2011 जारी करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनका यह

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

दायित्व था कि वो सर्वप्रथम प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करते तथा प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करते। प्रार्थीया को भूमि के वास्वतिक बाजार मूल्य/निर्माण के वास्तविक बाजार मूल्य के तथ्य को साबित करने का अवसर प्रदान करते। अवाप्ती अधिकारी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे करने का उनका विधिक दायित्व था। उनके द्वारा केवल मात्र उप पंजीयक की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रार्थीया की सम्पति के मुआवजे का निर्धारण किया गया है जबकि भूमि अवाप्ती अधिकारी की यह जानकारी में था कि उप पंजीयक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अवाप्ती अधिकारी ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं कि अवाप्ति के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया को भविष्य में प्राप्त होने वाली आय/लाभ अदायगी की अवार्ड में कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही अन्य कोई व्यवसाय चलाने की व्यवस्था ही, अवार्ड में की गई थी। प्रार्थीया को अवार्ड की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड व पत्र दिनांक 3-7-2012 व 29-09-2011 जारी करते समय इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थीया काबिज एवं स्वामी थे जिसने रूपान्तरण नियमों के अन्तर्गत भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराया था। प्रार्थीया ने भूमि पर उच्च श्रेणी का निर्माण कराकर व्यावसायिक कार्य कर रहा था। व्यवसाय चलाने हेतु नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति दी। मान्यवर यह सर्वविदित है कि किसी भी व्यवसाय का विकास एकाएक न होकर मंथन गति से कई वर्षों में होता है। प्रार्थीया का व्यवसाय चढाव पर था एवं विपक्षीगण द्वारा धारा–3 (ए) के अन्तर्गत एक विज्ञप्ति जारी कर प्रार्थीया के ऊपर वर्णित खसरा नम्बर 977 रकबा 68 हैक्टेयर अवाप्ति की विज्ञप्ति जारी की। ऐसी अवस्था में भूमि का मुआवजा व्यावसायिक भूमि के आधार पर नहीं किया जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अंत प्रार्थीया ने निवेदन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड व जारी पत्र दिनांक 29-09-2011 व 3-7- 2012 निरस्त कर प्रार्थीया को उचित मुआवजा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार दिलाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

5 अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 01.01.2009 को जारी की गयी व जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 05.02.2009 को किया गया में इस तथ्य का उल्लेख धारा 3 सी के तहत किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति का 21 दिवस के भीतर धारा 3 सी (1) के तहत आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को स्वयं लिखित रूप में या अपने प्लीडर के माध्यम से कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी उक्त आपत्तियों को सुने जाने का अवसर देगा व आदेश जारी करेगा। तथा अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परीपेक्ष में जो आपत्तियां की गई उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई जिसके आधार पर सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

भारत के राजपत्र में दिनांक 21.12.2009 को अधिसूचना जारी की गई जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति व समाचार जगत में दिनांक 04.02.2010 को किया गया। उक्त अधिसूचना से पूर्व भी प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सम्परिवर्तन बाबत् नहीं की गई। अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (4) में निहित प्रावधानानुसार अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगो से मुक्त होकर अत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिनियम की धारा 3 जी के तहत, अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 977 की 279 वर्गमीटर का मूल्य एवम् निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म्, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर, राजस्थान सरकार की बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट को देखते हुए मुआवजा निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट जो कि राजस्य रिकॉर्ड पर आधारित थी, के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना में आराजी खसरा नम्बर 977 की भूमि अवाप्त की गई जो कि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी अनुसार राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली (शिक्षा विभाग) राजस्थान के नाम दर्ज थी। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट की धारा 3 जी (7) के निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किरम, सडक सीमा के पास या दूर को देख कर व भूमि की किस्म के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 977 की 279 वर्गमीटर गैर मुमकिन सरकारी की डी. एल.सी दर रूपये 2391.9851 के आधार पर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय 10 प्रतिशत राशि खातेदार के पक्ष में अभिनिर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया जो कि उचित एवं कानूनी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अभिनिर्णय दिनांक 05.03.2011 को पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया। अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली (शिक्षा विभाग) राजस्थान के नाम दर्ज थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 977 पर स्थित संरचनाओं (दुकान, मकान आदि) पर मौका पर काबिज व्यक्तियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करवायी गयी जिसमें रिपोर्ट संख्या 418 पर नाथी देवी पत्नि मक्खन लाल की रिपोर्ट के आधार पर अवार्ड पारित किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की कीमत का निर्धारण उप पंजीयक द्वारा भेजी गई डीएलसी दर राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सडक एवं सड़क से दूरी तक के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत भूमि की किस्म के अनुसार दी गई थी उसे ही अवाप्तशुदा भूमि की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सही व उचित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण लोक हित में सार्वजनिक उद्देश्य हेतु किया गया है जिससे यातायात सुगम हो और सडक दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय है और न ही व्यावसायिक । प्रार्थीया द्वारा मात्र विभाग के अमूल्य समय को नष्ट करने तथा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारीज किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह पूर्णरूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की किरम एवं खातेदारी के आधार पर पर्याप्त प्रतिकर निर्धारित किया गया है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि की प्रकृति, उपयोग एवं उपादेयता के आधार पर तथा आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है, जो उचित एवं पर्याप्त है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व 3 डी की अधिसूचना की प्रकाशन के समय अधिग्रहित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जो भूमि की किस्म एवं खातेदारी दर्ज थी। मुआवजे की गणना रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म की दर से की गई है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत सही व उचित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी पारित निर्णय में भूमि अवाप्ति के समय प्रचलित डी.एल.सी रेट पर भूमि का मुआवजा तय करने के निर्देश प्रदान किये है। अंत में अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे ।

6 उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7 प्रार्थीया द्वारा राजस्व ग्राम बूचाहेडा कोटपूतली तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 977 में अवाप्त की गई कुल भूमि 279 वर्गमीटर में से नगर पालिका कोटपूतली द्वारा पटटे के आधार पर भूमि का मुआवजा चाहा गया है। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया है कि राजस्व ग्राम बूचाहेडा कोटपूतली की अवाप्तिधीन भूमि आराजी खसरा नम्बर 977 सरकारी गैर मुमकिन राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली (शिक्षा विभाग) राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अवाप्तिधीन भूमि प्रार्थिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थिया द्वारा पेश की गई आपत्तियों पर सुनवाई कर दिनांक 29.09.2011 व 03.07.2012 को विधिवत् निस्तारण किया जाना पत्रावली में मौजूद होने से पूर्ण रूप से चस्पा होती है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट की धारा 3 जी (7) के निर्देशों की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारो को मुआवजा राशि निर्धारित किया जाना तथा प्रार्थिया के मौके पर स्थित संरचनाओं के संबंध में रिपोर्ट तैयार करवाकर रिपोर्ट संख्या 418 के आधार पर निर्मित दुकान व चौबारा का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीया के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होकर राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली (शिक्षा विभाग) राजस्थान के नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाना साबित होने सें हम सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में कोई त्रुटि नहीं पातें है। फलस्वरूप प्रार्थीया का आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

5. निर्णय की प्रति हस्ब अतिरिक्त जिला कलक्टर/भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटपूतली को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

6. निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
कोटपूतली-बहरोड (राज.)